

**एलटी पैनल (इलेक्ट्रिक) और अर्थिंग कार्य  
के लिए**

**निविदा आमंत्रण सूचना**

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861 के अंतर्गत पंजीकृत बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ) सोसायटी का स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है जो प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण फार्म, बीईडीएफ एसवीपीयूएटी परिसर, मोदीपुरम, मेरठ में उपयोग के लिए निविदा दस्तावेज में वर्णित एलटी पैनल (इलेक्ट्रिक) और अर्थिंग कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करती है। बोली का प्रारूप वेबसाइट: [www.apeda.gov.in](http://www.apeda.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

**नियम एवं शर्तें**

1. बोलियां मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा भेजी जाए , हाथ से भेजी गई बिना मुहरबंद बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
2. बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
3. सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है तथा उन्हें यथाशीघ्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।
4. प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद वापस भी ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले बीईडीएफ को आवेदन वापस लेने की लिखित सूचना प्राप्त हो जाए। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।
5. बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि उसने इस नोटिस और अन्य सभी अनुबंध दस्तावेजों को पढ़ लिया है तथा वह किए जाने वाले कार्य -क्षेत्र और विशिष्टताओं से अवगत हो गया है तथा वह उन शर्तों और दरों से भी अवगत हो गया है जिन पर बीईडीएफ द्वारा उसे स्टोर , उपकरण, संयंत्र आदि जारी किए जाएंगे तथा वह कार्य के निष्पादन पर स्थानीय परिस्थितियों और अन्य कारकों से भी अवगत हो गया है।

6. सभी विद्युत भागों की न्यूनतम वारंटी अवधि स्थापना की तारीख से दो वर्ष होगी।
7. एलटी पैनेल की खरीद के लिए भुगतान पैनेल की स्थापना की तारीख से 1-2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा, बशर्ते बिल की प्राप्ति विधिवत प्रमाणित हो।
8. सबमर्सिबल पंप को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर 12 एचपी-15 एचपी के बीच हो।
9. अर्थिंग मान 2 वोल्ट क्षमता से अधिक नहीं हो।
10. अर्थिंग की न्यूनतम वारंटी अवधि 10 वर्ष हो।
11. कार्य बीईडीएफ द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए लिखित आदेश जारी करने के 7वें दिन से 30 दिनों के भीतर या साइट सौंपने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पूरा किया जाए।
12. अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता, कार्य निष्पादित करते समय, कार्य से संबंधित किसी भी सरकारी अधिनियम के प्रावधान और स्थानीय प्राधिकारियों के नियमों और उपनियमों का पालन करेगा।
13. मुख्य एलटी पैनेल उपकरण और उनकी स्थापना प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होगी।
14. कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्तियों के उपयोग के लिए सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखे जाएंगे तथा उन्हें तत्काल उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में बनाए रखा जाएगा तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपकरणों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे।
15. नियोजित व्यक्तियों को आग या विस्फोट या किसी अन्य खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।
16. अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता सभी सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा उन्हें चोरी या हैंडलिंग या भंडारण आदि में क्षति के एवज में बीमा कराएगा।
17. सभी सामग्रियां और उपकरण प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और अनुमोदित निर्माण और डिजाइन के होंगे।
18. अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता को, यदि आवश्यक हो तो, कार्य शुरू करने से पहले और कार्य पूरा होने पर उपयुक्त प्राधिकारियों से संपूर्ण स्थापना के लिए लिखित में अनुमोदन प्राप्त करना होगा और उसे बीईडीएफ प्राधिकारियों को भेजना होगा।
19. खराब पाए गए सभी सामग्रियों और उपकरणों को बदला जाएगा और अंतिम चयनित बोलीदाता की लागत पर विनिर्देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे कार्य का परीक्षण किया जाएगा।

20. सम्पूर्ण कार्य और उसकी स्थापनाएं सभी प्रकार से पूर्ण करके बीईडीएफ को सौंपी जाएंगी।
21. सुरक्षा उद्देश्य आदि के लिए बीईडीएफ द्वारा श्रमिकों , सामग्रियों आदि के कार्य और/या आवागमन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्राप्तकर्ता ऐसे सभी प्रतिबंधों/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा और इसके कारण उसे होने वाली किसी भी असुविधा , अनियमितता, अतिरिक्त खर्च, यात्रा आदि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
22. **विलंब के लिए मुआवजा:** अनुबंध राशि का 1% (एक प्रतिशत) अधिकतम 10 ,000/- रुपये प्रति सप्ताह या देरी के पहले 4 सप्ताह के लिए उसका एक भाग। बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
23. यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि कोटेशन प्रस्तुत करने के बाद दरों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
24. बिल/इनवॉयस के तहत भुगतान कार्य पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि कोई हो तो टीडीएस की कटौती के बाद भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ताओं को उनके बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान के किसी अन्य तरीके के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
25. बोली दस्तावेजों के साथ बीईडीएफ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) की बयाना जमाराशि (ईएमडी)** जमा करनी होगी।
26. ईएमडी राशि वापसी योग्य है , जो अनुबंध प्राप्त होने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं को वापस कर दी जाएगी। बोलीदाताओं को ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एनएसआईसी/एमएसएमई के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं को ईएमडी से छूट दी जाती है।
27. किसी भी बोलीदाता द्वारा आवेदन और बयाना जमाराशि (ईएमडी) जमा न करने की स्थिति में उनकी बोली को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
28. **सफल बोलीदाता को** बीईडीएफ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करना होगा।**
29. चयनित बोलीदाता के लिए , ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन गारंटी/प्रतिभूति के प्रति देयता के एवज में समायोजित किया जाएगा। अंतिम चयनित बोलीदाता को अंतिम बकाया राशि के निपटान के समय कार्य-निष्पादन गारंटी वापस कर दी जाएगी। किसी भी बोलीदाता को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

30. बीईडीएफ किसी भी समय अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और बीईडीएफ पर कोई दायित्व उठाए बिना घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीईडीएफ कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

### **बीईडीएफ के पास यह अधिकार सुरक्षित है**

- 1) अपने विवेकानुसार आवेदन/बोली दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
- 2) अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए और बीईडीएफ पर किसी भी दायित्व के बिना, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- 3) परियोजना को स्थगित करना ; यदि बीईडीएफ की राय में यह सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है, चयनित पक्ष के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी भी समय रद्द करना। इस संबंध में बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बीईडीएफ उपरोक्त कार्रवाई से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
- 4) यदि बीईडीएफ की राय में ऐसा करना जनहित में या परियोजना के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन है तो बोली प्रक्रिया के बाद सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध की शर्तों और नियमों में संशोधन करना। इस संबंध में बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 5) इस दस्तावेज के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए , बीईडीएफ का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
- 6) किसी भी समय/चरण पर निविदा को रद्द करना या बिना कोई कारण बताए निविदा दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम व शर्तों में छूट देना/संशोधित करना/वापस लेना।

### **अपरिहार्य घटना:**

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एकसप्लोजन, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है),

आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

## विवाद निपटान

1. इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
2. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।
3. इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।
4. *भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996* (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।
5. मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

## क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों कर्मचारियों को एजेंसी/, उसके उप ठेकेदारों , उप-एजेंटों, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही, कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति , बचाव और हानिरहित रखेगी, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओ ई/एसआईसी सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक/प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान के लिए देयता शामिल हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड सकता है। अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता किसी भी कारण से कार्य या बीईडीएफ के उपकरण और संयंत्र के किसी भी भाग को होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी होगा , तथा उसे स्वयं के खर्च पर मरम्मत करनी होगी और हर तरह से बीईडीएफ के अनुबंध और अनुदेश की आवश्यकता के अनुरूप कार्य करना होगा।

## बोलीदाताओं को अपनी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत/संलग्न करने होंगे:

1. बोली दस्तावेजों के साथ ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट की प्रति।
2. (यदि कोई बोलीदाता ईएमडी जमा करने से छूट चाहता है , तो कृपया निविदा दस्तावेजों के साथ एनएसआईसी/एमएसएमई के साथ पंजीकरण की एक प्रति संलग्न करना सुनिश्चित करें)।
3. **अनुलग्नक-‘क’, ‘ख’ और ‘ग’** में उल्लिखित विधिवत भरे हुए फॉर्म/पत्र।
4. इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

## बोलियां जमा करना

- i. निर्धारित प्रारूप में बोलियां (अनुलग्नक 'क' में दिया गया है) मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं, जिस पर <एलटी पैनल (इलेक्ट्रिक) और अर्थिंग कार्य के लिए बोलियां> लिखा हो।
- ii. प्रारूप के अनुसार बोली युक्त मुहरबंद लिफाफा विधिवत हस्ताक्षरित संलग्नकों के साथ डाक द्वारा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए या बोलीदाता को निर्धारित समय सीमा तक व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाए:

मुख्य वैज्ञानिक सह स्टेशन प्रभारी,  
बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान  
एसवीबीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (पुराना परिसर),  
एनएच-58, रुड़की रोड, मोदीपुरम,  
मेरठ-250110 (यूपी)

iii. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024, शाम 5:00 बजे है।

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान  
रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश  
(एसवीपीयूएंडटी, कैंपस)

बोली फॉर्म

वित्तीय बोली (एलटी पैनल (इलेक्ट्रिक) और अर्थिंग कार्य)

क्रमांक	मदें	मात्रा	अनुमानित लागत (रु.)
1	संस्थापना के साथ मुख्य एलटी पैनल पुराने विद्युत बोर्ड को हटाना और नए विद्युत पैनल को जोड़ना	01	
2	कॉपर अर्थिंग ट्रांसफार्मर न्यूट्रल के लिए 30-40 फीट डीप 25X3 मिमी कॉपर स्ट्रिप के साथ ट्रेडिशनल अर्थिंग	01	
3	जीआई अर्थिंग ट्रांसफार्मर बॉडी और स्ट्रिप के साथ मुख्य पैनल के लिए 25X5 मिमी जीआई अर्थिंग सहित 30-40 फीट डीप ट्रेडिशनल अर्थिंग	02	
4	25X3 मिमी कॉपर स्ट्रिप के साथ मुख्य बिल्डिंग पैनल के लिए केमिकल अर्थिंग 50X3000 मिमी	01	
	मूल कुल		
	जीएसटी@ 18%		
	कुल		

बोलीदाता के हस्ताक्षर/मुहर

दिनांक:.....

मुख्य एलटी पैनल के लिए विनिर्देश:

क्र. सं.	मद	निर्माण	मात्रा	इकाई	टिप्पणी
संलग्नक भाग					
1.00	सीआर शीट, एएल बीयूएसबीआर और वायरिंग के साथ असेम्बल क्यूबिकल: प्रोटेक्शन क्लास- आईपी 54 सीआर शीट साइज़- लोडिंग के लिए 2 मिमी और अनलोडिंग के लिए 1.6 मिमी पावर कोटिंग – एलएंडटी/शनाइडर ग्रे बसबार – लोड के अनुसार एएल. बसबार (40-6 मिमी) वायर-1.5 सीटी के लिए एसक्यू मिमी और वोल्टेज के लिए 1.0 एसक्यू मिमी फेन 150 मिमी – आवश्यकतानुसार लौवर 150मिमी-2 नग एलटी पैनल साइज़- न्यूनतम 5*6 फीट सभी केबल आवश्यकतानुसार केबल ग्लैंड से कनेक्ट करें	एमएसई	1.00	नहीं	
स्विचगियर भाग					
1.00	एमसीसीबी 200ए 4पी, 36केए (ओ/एल, एस/सी, ई/एफ प्रोटेक्शन) माइक्रोप्रोसेसर आधारित रिलीज़ एमटीएक्स-2 प्रकार के साथ)	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
2.00	विस्तारित रोटरी ऑपरेटिंग प्रणाली	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
3.00	स्प्रेडर्स लिंक	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
4.00	ऑन लोड मैनुअल चेंज ओवर स्विच 200एम्प	शनाइडर	1.00	नहीं	
5.00	तीन फेज़ डिजिटल वोल्ट मीटर 0-500वी	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
6.00	तीन फेज़ डिजिटल एम्प मीटर 0-200ए	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
7.00	सीटी 200ए 4पी, 15वीए, आईसीएल	रिषभ	1.00	नहीं	
8.00	आर, वाई, बी, इंडिकेशन लाइट	एलएंडटी/शनाइडर	6.00	नहीं	
9.00	कंट्रोल एमसीबी 6ए, 10के	एलएंडटी/शनाइडर	3.00	नहीं	

आउटगोइंग- I					
1.00	एमसीसीबी 125ए 4पी, 25केए ओएल/एससी के साथ	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
2.00	विस्तारित रोटरी ऑपरेंटिंग प्रणाली	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
3.00	स्प्रेडर्स लिंक	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
4.00	इंडिकेशन लाइट पर	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
आउटगोइंग - 2 (15 एचपी स्टार- डेल्टा स्टार्टर)					
1.00	एमसीसीबी 63ए 3पी, 25केए	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
2.00	विस्तारित रोटरी ऑपरेंटिंग प्रणाली	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
3.00	स्प्रेडर्स लिंक	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
4.00	मुख्य-डेल्टा संपर्ककर्ता 32 एम्प	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
5.00	स्टार कॉन्टैक्टर 32 एम्प	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
6.00	ओवर-लोड रिले 9-15ए	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
7.00	सिंगल फेज़ प्रिवेंटर	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
8.00	स्टार-डेल्टा टाइमर	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
9.00	स्टार/स्टॉप पुश बटन	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
10.00	ऑन/ऑफ इंडिकेशन लाइट	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
आउटगोइंग-3 (2 एचपी डीओएल स्टार्टर)					
1.00	एमसीबी 32ए 4पी, 10केए	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
2.00	पावर कॉन्टैक्टर 12 एम्प	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
3.00	ओवर-लोड रिले 6-10ए	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
4.00	स्टार्ट/स्टॉप पुश बटन	एलएंडटी/शनाइडर	1.00	नहीं	
5.00	ऑन/ऑफ इंडिकेशन लाइट	एलएंडटी/शनाइडर	2.00	नहीं	
आउटगोइंग - 4					
1.00	एमसीबी 32ए 4पी 10केए	एलएंडटी/शनाइडर	5.00	नहीं	
2.00	एमसीबी 32ए 2पी, 10का	एलएंडटी/शनाइडर	4.00	नहीं	
3.00	केबल स्क्वायर एमएम4 कोर एएलयू	हैवेल्स	5.00	मीटर	
आउटगोइंग -5 (स्पेयर 2 बॉक्स)					

बोलीदाता के हस्ताक्षर/मुहर

दिनांक:.....

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान

(एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)

रुड़की रोड, एसवीपीयूएटी, कैम्पस मोदीपुरम, मेरठ, 250110 (यूपी)

बोलीदाता विवरण फॉर्म

1. फर्म का नाम.....
2. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का पदनाम.....
- 3 फर्म का पता  
.....  
.....
4. एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नं. (0) ..... (फैक्स) .....
5. मोबाइल नं. ....
6. ई-मेल.....
7. संगठन का ईमेल आईडी .....
8. फर्म का पंजीकरण एवं निगमन विवरण:  
I) प्राइवेट लिमिटेड II) पब्लिक लिमिटेड III) कोई अन्य — कृपया निर्दिष्ट करें  
.....
9. पैन नं. ....
10. जीएसटी नं. ....

अपलोड/संलग्न दस्तावेजों का विवरण

1. पैन की प्रति:      हाँ/नहीं
2. जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति:      हाँ/नहीं
3. अनुभव प्रमाण पत्र और कार्य आदेश:      हाँ/नहीं
4. बोली प्रपत्र : वित्तीय बोली (एलटी पैनल (इलेक्ट्रिक) और अर्थिंग कार्य)

नोट्स:

कार्य/आपूर्ति का स्थान: डी एंड टी फार्म बीईडीएफ फार्म, एसवीपीयूएटी परिसर, मोदीपुरम, मेरठ

आपूर्ति अवधि : आपूर्ति का आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर।

माल ढुलाई एवं अन्य :माल/वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/मुहर

दिनांक:.....

(फर्म/बोलीदाता के लेटर हेड पर)

मुख्य वैज्ञानिक एवं स्टेशन प्रभारी  
बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान,  
एसवीबीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (पुराना परिसर),  
एनएच-58, रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ-250110 (यूपी)

महोदय,

मैं/हम बोली प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक हैं और एतद्वारा बीईडीएफ/एपीडा द्वारा प्रकाशित बोली दस्तावेज सं. 01/एलटी पैनल और अर्थलिंग 2024-25 दिनांक 24.07.2024 वाले कोटेशन आमंत्रण नोटिस में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

2. मैं/हम समझते हैं कि दस्तावेज वास्तविक/प्रामाणिक हैं और कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है और मुझे/हमें किसी भी सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और हम अनुबंध करने के लिए सक्षम हैं। मैं/हम समझते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध धोखाधड़ी के माध्यम से/जानकारी छिपाकर प्राप्त किया गया है, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा जब्त किया जा सकता है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

बोलीदाता का नाम\_\_\_\_\_

पत्राचार पता\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

संपर्क विवरण\_\_\_\_\_